International Journal of Scientific Research in Science and Technology
Print ISSN: 2395-6011 | Online ISSN: 2395-602X (www.ijsrst.com)

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा खाद्य सुरक्षा की ओर बढ़ता छत्तीसगढ़

शारदा वर्मा, शोधछात्रा (अर्थशास्त्र) हेमचंद विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
ओमकार वर्मा, शोधछात्र (अर्थशास्त्र) हेमचंद विश्वविद्यालय, दुर्ग (छ.ग.)
डॉ. आर.एन.सिंह, शोध निर्देशक एवं प्राचार्य, शास. विश्वनाथ यादव तामस्कर स्ना. स्व. महा. दुर्ग (छ.ग.)
Mo.- +91 83494 07494, Email ID : shivom.sverma@gmail.com

Article Info
Volume 9, Issue 3
Page Number : 796-803
Publication Issue
May-June-2022
Article History
Accepted : 10 June 2022
Published : 30 June 2022

शोध सारांश – छत्तीसगढ़ राज्य लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा खाद्य सुरक्षा की ओर निरन्तर अग्रसर है, साथ ही यह खाद्य सुरक्षा योजना देने वाला भारत का पहला राज्य है। राज्य में खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2012 लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ गरीबी से उबर कर सामने आया है, क्योंकि मनुष्य के मूलभूत आवश्यकताओं (आवास, वस्त्र एवं भोजन) तीनों की आपूर्ति व्यापक मुद्दा है। निम्न आर्थिक स्थिति के कारण वर्तमान में इन तीनों का पूर्ति कर पाना अत्यन्त कठिन कार्य है, फिर भी सरकार की ओर से एक छोटा सा प्रयास किया गया है। सरकार के इस कदम से मूलभूत आवश्यकताओं में से यदि किसी एक का बोझ कम होता है, तो गरीब परिवारों का आर्थिक विकास एवं जीवन स्तर में सुधार देखा जा सकता है। खाद्य सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता के लिए सरकार द्वारा समय–समय पर शिविर लगाकर, टेलिविजन एवं रेडियों के साथ ही साथ इंटरनेट जैसे साधनों के प्रयोग से जागरूकता आयी है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली व खाद्य सुरक्षा हेतु वितरित किये जाने वाले सामग्रियों की मात्रा एवं गुणवत्ता में पारदर्शिता से इस योजना के समुचित क्रियान्वयन से निम्न वर्ग में गरीबी अपेक्षाकृत कम एवं आर्थिक स्तर में सुधार हुआ है। पूर्व की अपेक्षा वर्तमान में शासकीय उचित मूल्य की दुकानों की संख्या, कार्यप्रणाली, संचालकों में भिन्नता (यथा– स्व सहायता समूह, वन सुरक्षा समूह, सहकारी समितियाँ आदि) में निरन्तर सुधार से छत्तीसगढ़ में खाद्य सुरक्षा एवं महिला सशक्तिकरण का एक नया मार्ग प्रशस्त हुआ है।

शब्दकुँजी : लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली, खाद्य सुरक्षा, निर्धनता, जीवन–स्तर, महिला सशक्तिकरण।

Copyright: © the author(s), publisher and licensee Technoscience Academy. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution Non-Commercial License, which permits unrestricted non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited

प्रस्तावना – भारत एक कृषि प्रधान देश है, अर्थात् देश के अधिकांश जनसंख्या का जीवन निर्वाह कृषि पर ही निर्भर हैं। भारत सरकार ने गरीब वर्ग की ओर ध्यान केन्द्रित करते हुए जून 1997 को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली शुरू की। लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राज्यों के लिए यह अपेक्षित है, कि उन गरीबों की पहचान कर उनको उचित दर पर खाद्यान्नों की सामग्री प्रदान किया जाये एवं उचित दर पर दुकान स्तर पर पारदर्शी एवं जवाबदेह तरीके से वितरण करने की उचित व्यवस्था प्रदान किया जाये, जो कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन कर रहे हैं। इस योजना के लागू होने के समय लगभग 6 करोड़ गरीब परिवारों को लाभ मिल रहा था, जिसके कारण वार्षिक रूप से खाद्यान्नों की लगभग 72 लाख टन मात्रा वितरण किया गया था। इस योजना के अन्तर्गत् गरीब परिवारों की पहचान स्वर्गीय प्रो. लाकड़ावाला की अध्यक्षता में ''गरीबों की अनुपात और संख्या के अनुपात सम्बन्धी विशेषज्ञ समूह'' की विधि पर आधारित वर्ष 1993–94 के लिए योजना आयोग के राज्यवार गरीबी अनुमानों के अनुसार राज्यों द्वारा की गई थी, कि राज्यों को खाद्यान्नों का आवंटन विगत वर्ष की औसत खपत अर्थात् लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारम्भ करते समय पिछले 10 वर्षों के दौरान सार्वजनिक वितरण प्रणाली में अधीन किया गया था।

इस योजना के तहत् गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को खाद्यान्न प्रदान किया जाता है, मौजूदा लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत् अन्तिम खुदरा मूल्य थोक विक्रेताओं के मार्जिन, ढुलाई प्रभार, स्थानीय कर, पारिश्रमिक आदि को शामिल कर लेने के बाद केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। भारत सरकार ने चावल के लिए 2 रूपये प्रति किलोग्राम तथा छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 1 रूपये प्रति किलोग्राम रखा गया था।

लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् अन्त्योदय अन्न योजना को लागू करना गरीबी रेखा के नीचे की आबादी की भूखमरी को कम करने की दिशा में उठाया गया एक कदम था, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली को आबादी के इस गरीब वर्ग के प्रति और अधिक केन्द्रित करने के लिए एक करोड़ गरीब परिवारों के लिए वित्त वर्ष 2000 में अन्त्योदय अन्न योजना की शुरूआत किया गया था।

छत्तीसगढ़ पहले मध्यप्रदेश का हिस्सा था, वर्ष 2000 को मध्यप्रदेश से अलग हुआ था। छत्तीगसढ़ राज्य का गठन के पूर्व छत्तीसगढ़ की आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन अब स्थिति में धीरे–धीरे सुधार हो रहा है तथा विकास के विभिन्न प्रयासों में से सार्वजनिक वितरण प्रणाली भी एक है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 12 दिसम्बर 2012 को खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया। यह भारत देश का पहला राज्य था जिसने खाद्य सुरक्षा के लिए अधिनियम बनाया और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को लागू कर दिया गया।

छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के समय 6501 उचित मूल्य की दुकाने संचालित थी, किन्तु वर्तमान समय में दुकानों की संख्या 13331 हो गई है तथा मासिक बजट का बड़ा हिस्सा भोजन सामग्री पर व्यय किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप खाद्य सुरक्षा उपलब्ध हो रही है।

अध्ययन का उद्देश्य –

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा खाद्य सुरक्षा के विषय में लोगों को जागरूक करना।
2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत् मिलने वाले खाद्य सामग्री गेंहूँ, चावल, शक्कर, कैरोसीन का उचित एवं नियमित आपूर्ति का अध्ययन करना।

परिकल्पना –

1. सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू होन से ग्रामीण लोगों के पलायन में कमी आया है।
2. सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने आर्थिक स्थिति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
3. सार्वजनिक वितरण प्रणाली से निर्धनता में कमी तथा जीवन स्तर में सुधार हुआ है।
4. सार्वजनिक वितरण प्रणाली ने महिला सशक्तिकरण एवं घरेलू हिंसा को रोकने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है।

अध्ययन पद्धति –

प्रस्तुत शोध पत्र छत्तीसगढ़ लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा खाद्य सुरक्षा की स्थिति का अध्ययन है। यह अध्ययन छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले पर आधारित है। प्रस्तुत शोध मूलतः द्वितीयक समंको पर आधारित अध्ययन है।

तथ्यों का संकलन –

प्रस्तुत अध्ययन पूर्ण रूप से छत्तीसगढ़ खाद्य विभाग द्वारा संकलित एवं मुद्रित सामग्रियों पर आधारित है। इसके अतिरिक्ति खाद्य विभाग–दुर्ग विभिन्न समाचार पत्र–पत्रिकाओं, शोध पत्रों एवं इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्रियों, आदि का प्रयोग किया गया है।

तालिका क्रमाँक–1.1
संचालित एजेंसी उचित मूल्य की दुकानों का संख्या, जिला–दुर्ग (2019–20)

क्र.	संचालन एजेंसी	दुकानों की संख्या	प्रतिशत
1.	सहकारी समिति	280	51.00
2.	स्व–सहायता समूह	211	38.43
3.	ग्राम पंचायत	56	10.20
4.	वन सुरक्षा समिति	01	0.19

5.	नगरीय निकाय	01	0.19
योग		**549**	**100.0**

स्रोत : खाद्य विभाग दुर्ग।

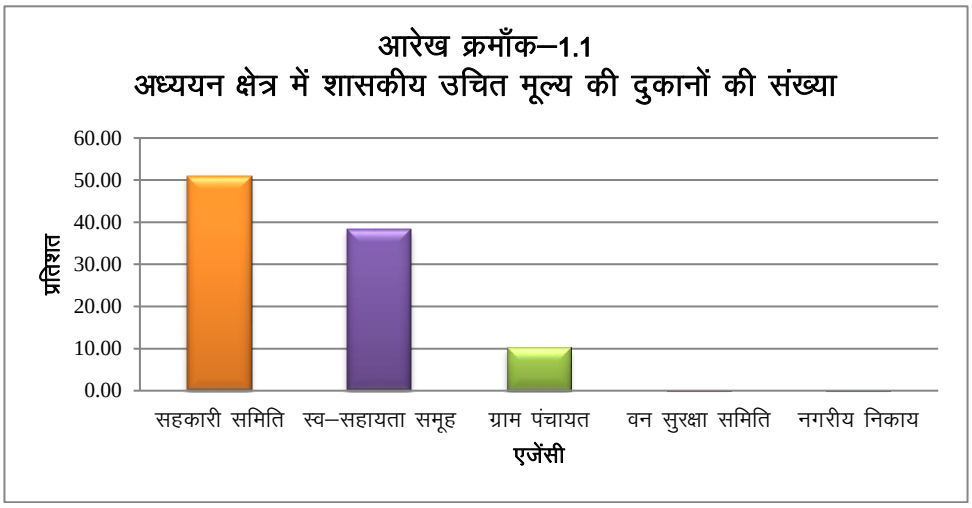

उपरोक्त तालिका व आरेख 1.1 से स्पष्ट है, कि जिले में कुल 549 उचित मूल्य की दुकाने संचालित है, जिसमें से सर्वाधिक 280 (51.0%) दुकाने सहाकारी समितियों व 211 (38.43%) दुकाने स्व–सहायता समूहों द्वारा संचालित की जा रही है, वहीं ग्राम पंचायतों के माध्यम से 56 (10.20%) दुकाने तथा वन सुरक्षा समिति व नगरीय निकाय द्वारा केवल 1–1 (0.19%)दुकाने ही संचालित की जा रही है।

खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत् जातिवार राशनकार्डों की जानकारी

सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली में जातिवार राशनकार्डों के अन्तर्गत् जिले में ग्रामीण क्षेत्र की तुलना में शहरी क्षेत्र की राशनकार्डों की संख्या अधिक है, जो कि तालिका 1.2 से स्पष्ट है–

तालिका 1.2

जातिवार राशनकार्डों की संख्या

क्र.	जाति	शहरी	ग्रामीण	योग
1.	अनुसूचित जाति	25000	23019	48019
2.	अनुसूचित जनजाति	10265	10127	20329
3.	अन्य पिछड़ा वर्ग	95686	101643	197329
4.	सामान्य	35810	3423	37233
योग		166761	138212	302910

स्रोत : खाद्य विभाग, दुर्ग (2019–20)

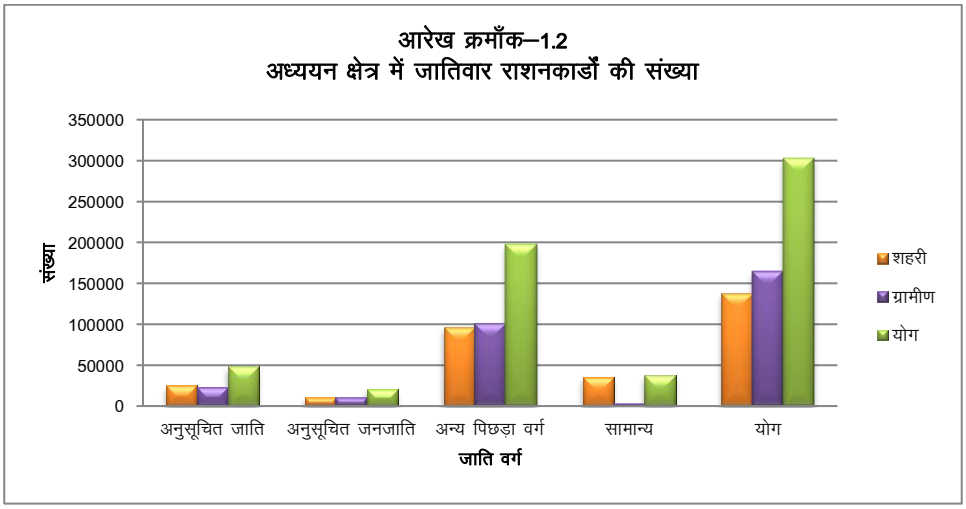

उपरोक्त तालिका 1.2 एवं आरेख 1.2 से स्पष्ट है, कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत् जातिवार राशनकार्डों की कुल संख्या 302973 है तथा दुर्ग जिले में अन्य पिछड़ा वर्ग की संख्या 197329 सबसे अधिक है, जो कि सर्वाधिक ग्रामीण में 101643 एवं शहरी क्षेत्र में 95686 है, जबकि सबसे कम राशन कार्ड अनुसूचित जनजाति वर्ग के अन्तर्गत् है जिसमें 10265 शहरी एवं 10127 ग्रामीण क्षेत्र में है। जिले में अनूचित जाति अन्तर्गत् कुल राशन कार्डों की संख्या 48019 है, जिसमें शहरी क्षेत्र में 2500 एवं 23019 ग्रामीण क्षेत्र में है, जबकि सामान्य वर्ग के अन्तर्गत जिले में कुल राशनकार्डों की संख्या 37233 है जिसमें से शहरी 35810 एवं 3423 ग्रामीण क्षेत्र में है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली में उपलब्ध खाद्य पदार्थों के किस्म एवं मात्रा तथा मूल्य

छत्तीसगढ़ राज्य जैसे पिछड़े राज्य में व्यापक आबादी को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना तथा संतुलित पोषण आहार स्तर पर पहुँचाना एक बड़ी चुनौती है, इसके बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार की सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली देश में सबसे कारगर साबित हुई है। राज्य सरकार द्वारा खाद्यान्न की आावश्यकताओं की पूर्ति के लिए न सिर्फ चावल और गेहूँ बल्कि प्रोटीन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु दाले, चीनी, नमक और ईंधन के लिए मिट्टी का तेल (कैरोसीन) भी सार्वजनिक खाद्य वितरण प्रणाली के तहत् वितरीत किया जाता है।

तालिका 1.3
खाद्य पदार्थों की किस्म एवं मात्रा (किलोग्राम में)

क्र.	योजना का नाम	खाद्यान्न	शक्कर	रिफाइंड आयोडीन अमृत नमक	मिट्टी तेल	चना
1.	प्राथमिकता/ नीला राशन कार्ड	7 किलो प्रति सदस्य एक रूपये प्रति किलो की दर से प्रति माह	प्रति राशन कार्ड 1 किलो ग्राम 13.50 प्रति किलो की दर पर	अनुसूचित क्षेत्र में 2 किलोग्राम प्रति परिवार गैर अनुसूचित क्षेत्र में 1 किलोग्राम प्रति परिवार निःशुल्क	नगरी क्षेत्र में अधिकतम 2 लीटर ग्रामीण क्षेत्र गैर अनुसूचित क्षेत्र में अधिकतम 2 लीटर तथा अनुसूचित क्षेत्र में अधिकतम 3 लीटर न्यूनतम 16 एवं अधिकतम 18 रू. प्रति	अनुसूचित विकासखण्ड के हितग्राहियों को प्रति माह 2 किलो 5 रू. प्रतिकिलो की दर से

					कार्ड प्रतिमाह	
2.	अन्यत्योदय	35 किलो एक रूपये प्रति किलो की दर से प्रति माह प्रति राशन कार्ड				
3.	स्पेशल गुलाबी	10 किलो निःशुल्क 25 किलो 1 रू. प्रति किलो की दर से प्रतिमाह प्रति राशन कार्ड				
4.	एकल निःशुल्क अन्त्योदय गुलाबी	10 किलो निःशुल्क प्रतिमाह प्रति राशन कार्ड	निरंक	निरंक	निरंक	थ्नरंक
5.	निःशक्तजन (हरा)	10 किलो 1 रूपये प्रति किलो की दर से प्रति माह प्रति राशन कार्ड				

स्रोत : खाद्य विभाग, दुर्ग (2019–20)

उपरोक्त तालिका 1.3 से स्पष्ट है, कि दुर्ग जिले में योजना के तहत् खाद्यान्न की पात्रता एवं दर योजना का नाम प्राथमिकता (नीला) राशन कार्ड खाद्यान्न 7 किलोग्राम प्रति सदस्य एक रूपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह तथा अन्त्योदय (गुलाबी) राशन कार्ड 35 किलो राशन 1 रूपये प्रति किलो की दर से प्रतिमाह प्रति राशनकार्ड एवं स्पेशल गुलाबी राशन कार्ड 10 किलो निःशुल्क अथवा 25 किलो 1 रूपये प्रति किलो की दर से प्रति माह प्रति राशन कार्ड को दिया जाता है। शक्कर, रिफाइंड आयोडीन अमृत नमक, मिट्टी तेल, चना इत्यादि तीनों राशन कार्डों को एक समान दिया जाता है।

जो कि अन्त्योदय गुलाबी (एकल निःशुल्क) – राशन कार्ड 10 किलो प्रतिमाह प्रति राशन कार्ड तथा निःशक्तजन (हरा) राशन कार्ड को 10 किलो 1 रूपये प्रति किलो की दर से प्रति माह राशन कार्ड की दर पर दिया जाता है इन दोनों राशन कार्डों को शक्कर, रिफाइंड आयोडीनयुक्त अमृत नमक तथा कैरोसीन, चना नहीं दिया जाता है।

पूर्व साहित्य की समीक्षा

मोदी, के. एन. (2008) ने ''खाद्य सुरक्षा की ओर बढ़ते कदम'' में लिखा है, कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी, भ्रष्टाचार मुक्त व पारदर्शी बनाकर खाद्य सुरक्षा अधिक सुदृढ़ की जा सकती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सफल व प्रभावी कदम उठाए जाना निरन्तर आवश्यक है। वर्तमान समय में सम्पूर्ण विश्व के समक्ष खाद्य संकट ने विकराल व भीषण समस्या का रूप धारण कर लिया है। विश्व बैंक ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट संकेत दिया है, कि गत 3 वर्षों में खाद्य पदार्थों की कीमतों में 83 प्रतिशत् की वृद्धि दर्ज की है, जिसके कारण खाद्य सुरक्षा पर खतरा मंडरा रहा है। इस विकट समस्या के समाधान हेतु विश्व के समस्त देश विविध प्रकार की नीतियों को क्रियान्वित करते हुए अपने देश के नागरिकों को खाद्य सुरक्षा का कवच प्रदान करने हेतु सतत् प्रयासरत है।

रावत, गजेन्द्र कुमार (2012) ने ''खाद्य सुरक्षा और सरकारी प्रयास'' में बताया है, कि सरकार द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली अन्तर्गत् अन्त्योदय अन्न योजना, अन्नपूर्णा योजना, डीजल सब्सिडी योजना आदि इसके अतिरिक्त कार्य के बदले अनाज योजना के माध्यम से गरीबों को राहत देने का प्रयास किया गया फिर भी उम्मीदों के अनुरूप सुधार नहीं हुआ, जिसका मुख्य कारण यह था कि इन योजनाओं में कुछ कमियाँ विद्यमान थी जिससे सरकार अवगत नहीं थी, परिणामस्वरूप खाद्यान्न घोटाले की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार को खाद्य सुरक्षा कानून बनाने की आवश्यकता अनुभव हुआ। आज भारत जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है उनमें से खाद्य सुरक्षा की चुनौती सबसे प्रमुख चुनौतियों में से एक है। स्वामी विवेकानन्द ने एक बार कहा था ''जो व्यक्ति अपना पेट भरने के लिए जूझ रहा हो, उसे दर्शनवाद नहीं समझाया जा सकता है।''

कुमार, गौरव (2013) ने ''भारत में खाद्य सुरक्षा'' में लिखा है, कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा बिल को 22 दिसम्बर 2011 को उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री के. वी. थॉमस् ने लोकसभा में पेश किया था। लम्बे गतिरोध के बाद अन्ततः 5 जुलाई 2013 को राष्ट्रपति के अध्यादेश के जरिए इसे लागू किया गया।

निष्कर्ष

छत्तीसगढ़ में लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर खाद्य व्यवस्था है, सम्पूर्ण अध्यायों का अध्ययन करने के पश्चात् निष्कर्ष में यह पाया गया, कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में लोगों को इस योजना के तहत् अत्याधिक लाभ प्राप्त हुआ है। इससे पहले लोग भूख से मर रहे थे, गरीबी ने घेर रखा था तथा बिमारियों ने तो डेरा डाल लिया था, किन्तु अब देखा जाये तो जीवन–स्तर में सुधार तथा मृत्यु दर में कमी परिलक्षित होता है, साथ ही लोगों के स्वास्थ्य में सुधार आया है। पहले अमीर घरों के बच्चे ही शिक्षा ग्रहण कर पाते थे, गरीब नहीं, लेकिन अब गरीब घरों में भी खाद्य की उपलब्धता से इस समस्या में भी कमी देखने को मिला है, जिससे शिक्षा के स्तर में भी सुधार हुआ है। संतुलित एवं उचित आहार निम्न दरों पर उपलब्ध होने से गरीबों के जीवन में नया आयाम तथा सरकार के प्रति खाद्य सुरक्षा के मामले में अटूट विश्वास ने जन्म लिया है, जो छत्तीसगढ़ राज्य के लिए गौरव की बात है।

सन्दर्भ ग्रंथ–सूची

1. मिश्रा, चन्द्रशेखर (1991) ''सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रबन्धन में सुधार आवश्यक'' कुरूक्षेत्र,
2. पृ. 22, दिसम्बर–1991.
3. गुप्ता, कु. दिव्या (1991) ''गाँव–गाँव में राशन दुकान योजना'' कुरूक्षेत्र, पृ. 6, सितम्बर 1991.
4. राय, अमरेन्द्र कुमार (2012) ''खाद्य सुरक्षा के लिए मजबूत पी.डी.एस.'' योजना, पृ. 59, जनवरी 2012.
5. सिंह, वन्दना (2011) ''भारत में खाद्य सुरक्षा चुनौतियाँ एवं सम्भावनाएँ'' सामाजिक सहयोग,
6. पृ 23–27, 2011.
7. पिपरिया, राजेश ''खाद्य सुरक्षा अधिकार एवं चुनौतियाँ'' योजना, पृ. 15–16, दिसम्बर 2013.
8. ए. के. अरूण (2013) ''खाद्य सुरक्षा, पोषण और जनस्वास्थ्य'' योजना, पृ. 21–24, दिसम्बर, 2013.
9. शर्मा, अनिल (2013) ''खाद्य सुरक्षा द्वारा महिला सशक्तिकरण का प्रयास'' योजना, पृ. 51–54, दिसम्बर 2013.
10. प्रपन्न, कौशलेन्द्र (2013) भूखे बचपन के लिए खाद्य सुरक्षा'' योजना, पृ. 45, दिसम्बर 2013.
11. मोदी, के. एन. (2008) ने ''खाद्य सुरक्षा की ओर बढ़ते कदम'' कुरूक्षेत्र, पृ. 8–12, सितम्बर 2008.
12. रावत, गजेन्द्र कुमार (2012) ने ''खाद्य सुरक्षा और सरकारी प्रयास'' कुरूक्षेत्र, पृ. 18–22, मार्च 2012.
13. कुमार, गौरव (2013) ने ''भारत में खाद्य सुरक्षा'' कुरूक्षेत्र, पृ. 14–18, नवम्बर 2013.
14. कुमार, आशीष (2013) ''राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक : एक परिदृश्य'' कुरूक्षेत्र, पृ. 11–13, नवम्बर 2013.
15. सांख्यिकी रिपोर्ट, खाद्य विभाग, दुर्ग
16. cg.khadya.nic.in / chhattisgarhkhadya.cg.nic.in